वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन

संख्या:317/व.ग्रा.वि./2001 देहरादून दिनांक:20 फरवरी, 2001

सेवा में:

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल
3. समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तररांचल

विषय:वन पंचायतों का बांस रोपण में सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर, प्रो. सेंचुरी टैक्सटाईल एण्ड इंडस्ट्रीज लि. के साथ उच्च कोटि के बांस के पौधालयों तथा बांस पौध रोपण के संबंध में अनुबंध।

महोदय,

उत्तरांचल के जनपदों में वन हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य सभी जनपदों में गठित है. वन पंचायतों के द्वारा विभिन्न वानिकी और वाणिज्यिक उपज पैदा कर उनकी आय में संवर्धन करने एवं ऐसे कार्यों के माध्यम से स्थानीय गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर लम्बे समय से विचाराधीन था.

2. सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर के स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर यह निश्चय किया गया है कि वन पंचायतों के द्वारा उच्च कोटि के बांस पौधालयों की स्थापना तथा ऐसे पौधालयों से बांस पौध लेकर उनका रोपण कराया जाय। बांस पौधलयों की स्थापना करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि संबंधित वन पंचायत बांस पौधलयों तथा बांस रोपण के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध

करायेगी. इस प्रकार से उपलब्ध कराई गई भूमि पर सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर द्वारा अपने व्यय से बांस पौधलय स्थापित किये जायेंगे. ऐसे पौधलयों से वन पंचायतों को रियायती दर पर मात्र 1 रू. में अपनी पौधशालाओं से उच्च कोटि की बांस पौध उपलब्ध करायेगी. बांस पौध की उक्त दर 31.03.2005 तक प्रभावी रहेगी तथा उक्त तिथि के उपरांत बांस की पौध दर पर शासन और सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर द्वारा संयुक्त रूप से पुनर्विचार किया जा सकेगा.

3. नैनीताल, अल्मोड़ा तथा चम्पावत जनपदों में ऐसे बांस पौधालयों की वन पंचायत स्तर पर गठन का कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ किया जा चुका है और अच्छे परिणाम प्राप्त हुये है. उक्त प्रारंभिक प्रयासों से प्रोत्साहित होकर यह निर्णय लिया गया है कि सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर के इस सफल प्रयोग को पूरे उत्तरांचल में क्रियान्वित कराया जाय. वन पंचायतों तथा सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर के बीच जो अनुबंध इस कार्य के लिए किया जायेगा, उसको भी अंतिम रूप दे दिया गया है. उक्त मान अनुबंध पत्र की एक प्रति आपके अवलोकनार्थ तथा उपयोगार्थ संलग्न है.

4. अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार व प्रसार करें तथा प्रारंभ में पक्की सड़क से लगी वन पंचायतों को प्रोत्साहित करें कि वे सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर के साथ संलग्न अनुबंध पत्र के आधार पर कार्य करने के लिए वन पंचायतों की बैठक में आवश्यक विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित करने पर विचार करें.

5. सड़क से लगी वन पंचायतों में से जो वन पंचायतें उपरोकत अनुबंध पत्र में दी गई शर्तो के अनुसार कार्य करने के इच्छुक हों तो उन्हें First Come First Serve आधार पर श्री जी.सी. मोटवानी, उप महा प्रबंधक (रौ मैटीरियल) (05946-68044/68048) को अपने प्रस्ताव की अधिकृत प्रति के साथ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन करें. जिन वन पंचायतों का अवेदन परीक्षण के उपरांत सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, वे तब संलग्न प्रारूप पर उक्त कम्पनी के साथ अनुबंध कर लें. बांस पौधालय में श्रमिक कार्य को स्थानीय ग्रामीणों के स्तर तक ही सीमित रखा जायेगा. पौधालय में बांस पौध तैयार हो जाने के उपरांत उनका रोपण विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों के अंदर किये जाने को भी प्रोत्साहित किया जाय.

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां ऐसे अनुबंध के अंतर्गत वन पंचायतें अपने बांस की निर्धारित सही उपज को स्वेच्छा से अधिक मुल्य पर बेचने को बाध्य होंगी, उसी प्रकार बाजार मुल्य व कम्पनी द्वारा निर्धारित मुल्य पर ऐसे बांस को कम्पनी लेने के लिए बाध्य होगी. इस प्रकार जहां एक ओर वन पंचायतों को आवश्यक स्वतंत्रता होगी, वहीं कम्पनी द्वारा बाज़ार मुल्य पर support price दिया जायेगा.

7. मानक अनुबंधक के अनिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की शर्त स्थानीय तौर पर किसी के भी द्वारा नही लगाइ जायेगी. वन पंचायतें पूर्णतः स्वतंत्र है कि वे इस अनुबंध के आधार पर बांस रोपण कार्य में भाग लेना चाहती है अथवा नहीं.

8. शासन आश्वस्त है कि उपरोक्त कार्यक्रम वन पंचायतों के आर्थिक उन्नयन व स्थानीय तौर पर आर्थिक विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा.
अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जनपद स्तर पर व्यक्तिगत रूचि लेकर संबंधि वन पंचायतों में इसका यथासंभव प्रचार प्रसार करें.

संलग्नः- यथोपरि

भवदीय,

ह0/(आर0एस0टोलिया)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री जी.सी. मोटवानी, उप महा प्रबंधक (रौ मैटीरियल), सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर, लालकुंआ, नैनीताल

2. निदेशक, वानिकी एवं वन पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी को इस आशय से कि उनके यहां प्रशिक्षण पाने वाले विभागीय अधिकारियों व वन पंचायतों के सरपंचों को इस बारे में जानकारी देने व संलग्न अनुबंध पत्र की एक-एक प्रति उन्हें भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल को इस आशय से कि वे भी इस सुविधा का व्यापक प्रचार प्रभागीय वन अधिकारियों में करें तथा उन्हें ऐसी नर्सरियों से बांस पौध उठाकर बांस पौधरोपण करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें.

4. निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को इस आशय से कि वे भी कृपया सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर द्वारा मांगी गई technical assitance को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रदान करने का कष्ट करें.

(आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास
उत्तरांचल

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर, प्रो0 सेन्चुरी टैक्सटाईल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि0 एक कम्पनी जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नियमित है एवं जिसका कार्यालय घनश्याम धाम, लालकुआँ पर स्थित है, जो एत्मनिस् पश्यचात शब्द "कम्पनी" से संबोधित एवं जिसका सम्बोधन जब तक इस सन्दर्भ एवं अर्थ से विपरीत न हो में यह माना जायेगा कि इसके अन्तर्गत इसके उत्तराधिकारी एवं निर्दिष्ट शामिल है एक ओर पक्षकार एवं सरपंच.....ग्राम पंचायत क्षेत्र. .....तहसील.....जिला.....जो एत्मन्सिपश्चात शब्द "सरपंच" से संबोधित एवं जिसका सम्बोधन जब तक सन्दर्भ एवं अर्थ से विपरीत न हो, यह माना जायेगा कि इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी, निष्पादन, प्रशासक एवं अनुज्ञाकारी, निर्दिष्ट शामिल है दूसरी ओर पक्षकार के मध्या आज दिनांक.....माह.....वर्ष..... को लालकुआँ.....में निष्पादित किया गया। जैसा कि कम्पनी अन्य क्रियाकलापों के साथ-साथ उच्चकोटि के बांसा के पौधे विभिन्न स्थानों पर (कुमाऊँ मण्डल) उगायेगी जिसके लिये वन पंचायत नि:शुल्क जमीन उपलब्ध करायेगी। जैसा कि कम्पनी वन पंचायतों को रियायती दर पर मात्र एक रूपया (1/-रू0) में अपनी पौधशालाओं से उच्चकोटि की बांस की पौध उपलब्ध करायेगी। यह दर दिनांक 31.03.2005 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद उस समय के श्रम एवं अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए, पुन: विचार किया जाएगा।

जैसा कि बांस आठ वर्ष से कटने के योग्य हो जाता है और इसकी कआन लगातार पचास

की खरीद लगाने के आठवें वर्ष से शुरू कर दी जायेगी।

जैसा कि वन पंचायत अपने बांस की निर्धारित सही उपज को स्वेच्छा से अधिक मूल्य मिलनें पर बेचने को बाध्य है इसी तरह जो बाजार मुल्य व कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य होगा उस निर्धारित मूल्य पर कम्पनी लेने के लिये बाध्य है। यह अनुबन्ध के किसी भी पक्षकार द्वारा कोई निष्पादन की तिथि से प्रभावी होगा। यदि इस अनुबन्ध के किसी भ्ज्ञी पक्षकार द्वारा कोई उल्लंघन या अनुबन्ध में वर्णित किसी प्रावधान, शर्ते या नियम के पालन या मानने में गलती की जायेगी तब उस स्थिति में दूसरे पक्षकार द्वारा उक्त उल्लंघन एवं अपालन के तीन दिन के अन्दर, उक्त उल्लंघन या गलती के विवरण सहित लिखित रूप से नोटिस दिया जायेगा एवं दूसरे पक्ष से उल्लंघन या गलती के निराकरण की मॉग करेगा।

यदि अनुबन्ध के पक्षकारों के मध्य इस अनुबन्ध से उत्पन्न या इस अनुबन्ध में वर्णित किसी उत्तरदायित्व के पालन के सम्बन्ध में कोई विवाद या विचारों में मतभेद का निपटारा न होने की स्थिति में पक्षकारों द्वारा शान्तिपूर्वक आपसी वार्ता से, विवाद या विचारों में मतभेद को निपटाने के सर्वोत्तम प्रयास किये जायेंगें।

समझौता न हो पाने की स्थिति में विवाद या मतभेद जो भी इस समझौते से सम्बन्धित है, को माध्यस्थम् के लिये निर्देशित किया जायेगा जिसके अन्तग्रत इसकी सूचना उस जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, जिसको कि पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वह स्वयं इसकी मध्यस्थता करें, एवं एक मात्र मध्यस्थ बने या कोई एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त करें।
किसी भी दशा में माध्यस्थम् के दौरान लिया गया निर्णय और दिया गया निर्देश अंतिम निर्णय होगा और दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। माध्यस्थम् की पूर्ण कार्यवाही भारतीय माध्यस्थम् कानून 1940 और उसके अन्तर्गत किये गये संशोधनों के नियमानुसार ही की जायेगी। माध्यस्थम् का स्थान. .....होगा।

वन पंचायत एवं कम्पनी के मध्य यह सहमति है कि केवल.....के न्यायालयों को ही इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में एक मात्र क्षेत्राधिकार होगा। वन पंचायत एवं कम्पनी के मध्य यह सहमति है कि यह अनुबन्ध, सरपंचों को उनकी भाषा में, गवाहानों की उपस्थिति में पढ़कर सुना व समझा दिया गया है तथा सरपंचों द्वारा अनुबन्ध के खण्डों एवं उसके प्रभावों को समझ लिया गया है।

कृते सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर, प्रो0 सेन्चुरी
टैक्सटाईल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0
साक्षी
1.
2.

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा सरपंच
साक्षी
1.
2.